संख्या:03/2020/47/61-2020

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2020

विषयः- विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को मानदेय दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के निर्वाचन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए निम्नलिखित अधिकारियों को निम्नवत् दरों पर मानदेय दिये जाने हेतु रू0 86.00 लाख (रू0 छियासी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:-

प्रतीकात्मक मानदेय की दरों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	धनराशि रू0
1-	जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी	15000
2-	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	7500
3-	रिटर्निंग आफिसर	5000
4-	सहायक रिटर्निंग आफिसर	5000
5-	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	5000
6-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0	25000
7-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारी	15000

निर्वाचन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों का विवरण

कार्यालय	पदनाम	दर (रू0 में)
1	2	3
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	**25000**
	अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी	**15000**
	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	**15000**
	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी	**15000**
	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	**15000**
समस्त जनपद स्तर	जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी	15000
	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	7500
	रिटर्निंग आफिसर	5000
	सहायक रिटर्निंग आफिसर	5000
	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	5000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2- विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु मानदेय के संबंध में होने वाला व्यय निर्वाचन विभाग के अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2015-निर्वाचन-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-07 मानदेय" मद द्वारा वहन किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के संबंधित अधिकारी का होगा।

4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

5- पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कर लिया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-12-202/दस-2010, दिनांक 23-01-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-03/2020/47(1)/61-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
(4) समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/ सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
(7) संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2019-2020 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 07-मानदेय	2256.00	86.00	86.00	86.00	2170.00
योग:-	**2256.00**	**86.00**	**86.00**	**86.00**	**2170.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 07-मानदेय	0.01	86.01	86.00	86.00	86.01
योग:-	**0.01**	**86.01**	**86.00**	**86.00**	**86.01**

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-
चालू वित्तीय वर्ष-2019-2020 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के श्रमसाध्य कार्यो के लिए निर्वाचन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुडे अधिकारियो को मानदेय दिये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। , **संख्या: आरई. 300/ई-12-83/दस-2020, दिनांक 20 जनवरी, 2020**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:03/2020/47/61-2020 , दिनांक 27.01.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन

।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ://... से सत्यापित की जा सकती है